Political Science Dep.
B.A. Part-I (Hons.) Paper-II
Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College Tajpur
Samastipur

गाँधी-इरविन समझौता

5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे 'गाँधी-इरविन समझौता' के नाम से जाना जाता है। यह समझौता तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन एवं महात्मा गाँधी के बीच हुआ। इस समझौते में सरकार की ओर से लार्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए –

1. हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायेंगे।
2. विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जायेगा।
3. सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श किया जायेगा।
4. समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जायेगी।
5. मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं के दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी।
6. आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा।

किन्तु वायसराय से गाँधीजी की निम्न

Scanned with CamScanner

दो मांगे अस्वीकार कर दी —
1. पुलिस ज्यादतियों की जांच करायी जाये।
2. भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाये।

कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने आश्वासन दिया —
1. सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जायेगा।
2. कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

गाँधीजी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 7 सितम्बर 1931 से 1 दिसम्बर 1931 तक यह सम्मेलन चला। सम्मेलन में संकट भारतीयों की मुख्य मांग 'स्वतंत्रता' पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। 28 दिसम्बर 1931 को गाँधीजी भारत लौट आये। 29 दिसम्बर 1931 को कांग्रेस कार्यसमिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस निर्णय के पश्चात भारत के नये वायसराय विलिंगटन ने 31 दिसम्बर 1931 को गाँधीजी से मिलने से इंकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गाँधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

Dr. Husna Ara
Asst. Professor.

Scanned with CamScanner